न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्वत (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 326 / 2025

अनवान : –

1. शिवदत पुत्र बीरबलराम जाति ब्राहमण निवासी बरमसर तहसील पल्लू जिला हनुमानगढ़।

– प्रार्थी

बनाम्

1. मंगतराम पुत्र श्री काशीराम जाति ब्राहमण निवासी वार्ड स0 15 डी ब्लॉक वकीलो की डिग्गी के पास श्रीगंगानगर–फौत

   1 / 1. देवदत पुत्र मंगतराम पुत्र श्री काशीराम जाति ब्राहमण निवासी वार्ड स0 15 डी ब्लॉक वकीलो की डिग्गी के पास श्रीगंगानगर

   1 / 2. जयप्रकाश पुत्र मंगतराम पुत्र श्री काशीराम जाति ब्राहमण निवासी वार्ड स0 15 डी ब्लॉक वकीलो की डिग्गी के पास श्रीगंगानगर

   1 / 3. जयप्रकाश पुत्र मंगतराम पुत्र श्री काशीराम जाति ब्राहमण निवासी वार्ड स0 15 डी ब्लॉक वकीलो की डिग्गी के पास श्रीगंगानगर

   1 / 4. गायत्री पुत्री मंगतराम पुत्र श्री काशीराम जाति ब्राहमण निवासी वार्ड स0 15 डी ब्लॉक वकीलो की डिग्गी के पास श्रीगंगानगर।

2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
3. उप पंजीयक कार्यालय उप तहसील खुईया तहसील नोहर।

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति :– श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता **सायल**
श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता गैरसायल

निर्णय दिनांकः 27/05/26

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि वाद भूमि साबिका ख.न. 117 मीन की 98 बीघा 10 बिस्वा भूमि रोही मौजा सिरगसर तहसील नोहर जिसमें सायल के दादा लिछमण 1 / 2 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार थे। उक्त वाद भूमि हिन्दु मुश्तरका खानदान की जददी जायदाद है तथा वाद भमि में सायल व दावा में दर्ज तरतीबी प्रतिवादीगण बिरबलराम के कोपासर्नर थे। तथा वाद भूमि में सायल व दावा में दर्ज तरतीबी प्रतिवादीगण बाई बर्थ राईट था। रोही मौजा ढ़ाणी रायकान तहसील नोहर के खाता सं. 30 / 36 के ख.न. 1057 की 24.913 हैक्टर भूमि में 12.457+6.133 हैक्टर भूमि कुल 18.59 हैक्टर भूमि स्थित है उक्त भूमि के बिरबल पुत्र लछमण जाति ब्राहमण निवासी खातेदार काश्तकार है।

सायल के पिता बिरबलराम द्वारा जो तमलीकनामा दिनांक 17 / 04 / 1972 को किया गया है उसमें केवल गैरसायल सं. 1 को अपने जीवन प्रर्यंत फसल लेने के लिए ही तहरीर किया गया था। इसके अलावा उसको वाद भूमि पर खातेदारी अधिकार नही दिये गये थे। ना ही वाद भूमि बैचान किया गया था और तमलीकनामा में स्पष्ट उल्लेखित है कि मंगतराम के मरने के बाद मंगतराम के वारिसान एवं मंगतराम का वाद भूमि से कोई तालुक व वास्ता नही होगा। बिरबलराम के वारिसान उक्त भूमि अपने नाम करवा सकेगे। और बिरलबराम की इजाजत अथवा

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

उनके वारिसान की इजाजत के बिना वाद भूमि को अन्यत्र रहन/बैय नही कर सकेगा। इसके लिए तमलीकनामा में उनको पाबन्द किया गया था। परन्तु तमलीकनामा की शर्तों के विपरित गैरसायल सं. 1 ने अपने नाम वाद भूमि दर्ज करवाकर तमलीकनामा दिनांक 17/04/1972 की शर्तों उल्लधन किया गया है। इसके अतिरिक्त पैतृक भूमि में बिरबलराम केवल 1/6 हिस्सा भूमि का खातेदार काश्तकार था। उसे वाद भूमि को तमलीक करने का कोई अधिकार नही था। इसके लिए तमलीकनामा दिनांक 17/04/1972 को स्वंतः ही शुन्य एवं निष्प्रभावी है। इसके अतिरिक्त गैरसायल सं. 1 के नाम जो भूमि है वो अनुचित एवं गलत तौर से दर्ज है। जिसे सायल कलमजन करवाकर सायल व दावा में दर्ज तरतीबी प्रतिवादीगण अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। गैरसायल सं. 1 तमलीकनामा का शर्त का उल्लधन करके वाद भूमि अन्यत्र रहन / बैय करने पर आमादा है। जबकि सायल के पिता के समक्ष गैरसायल सं. 1 तमलीकनामा पर भूमि रहन/बैय करने से विरूद्ध रहने हेतु अपने हस्ताक्षर से भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 115 से इस्टोपल्ड है। तथा वाद भूमि हमेशा से सायल के पिता व वाद वफात बीरबलराम सायल व दावा में दर्ज तरतीबी प्रतिवादीगण के कब्जा काश्त में चली आ रही है। गत पैमाईश भूप्रबन्धक विभाग द्वारा रोही मौजा सिंरगसर तहसील नोहर के ख.न. 117 मीन में भूमि वर्तमान ख.न. 1057 में परिवर्तित व पैमुद हो गई। बीरबलराम जो कि सायल व दावा में दर्ज तरतीबी प्रतिवादीगण सं. 3 ता 5 के पिता थे उन्होने अपने जीवनकाल में गैरसायल सं.1 जो बीरबलराम का भानजा था उसको गुजारा हेतु रोही मौजा सिंरगसर तहसील नोहर के ख.न. 117 की 99 बीघा 2 बिस्वा भूमि में से 49 बीघा 11 बिस्वा भूमि गैरसायल सं. 1 को तमलीक कर दी तथा उक्त तमलीकनामा दिनांक 17/04/1972 को जिला पंजीयन श्रीगंगानगर से बरोबरू गवाहन तस्दीक एंव पंजीयन करवा दिया तथा तमलीकनामा के शर्त रखी कि गैरसायल सं. 1 के वारिसान का उक्त आराजी से कोई ताल्लुकात नही होगा तथा गैरसायल सं. 1 सायल के पिता (अब सायल व दावा में दर्ज तरतीबी प्रतिवादी सं. उता 5) की इजाजत के बिना उक्त आराजी को रहन/बैय व मुन्तकिल नही करेगा तथा किसी भी तरीके से रहन/बैय मुन्तकिल नही करेगा। गैरसायल सं. 1 सायल के पिता का संगा भानजा था उसके पास जीवन यापन का उस वक्त कोई साधन नही था केवल पेट भरने के लिए उक्त भूमि दी थी उस पर खातेदारी अधिकार सायल ने नही दिये थे। उक्त भूमि को गैरसायल सं. 1 को रहन / बैय व मुन्तकिल करने से अधिकारी नही है। तथा तमलीकनामा की शर्त से प्रतिवादी सं. 1 पाबन्द है तथा उक्त भूमि केवल गैरसायल सं. 1 को भरण–पोषणा हेतु दी थी सायल व दावा में दर्ज तरतीबी प्रतिवादीगण सं. 3 ता 5 व ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार है। एवं गैरसायल सं. 1 का नाम राजस्व रिकार्ड से कलमजन करवाकर अपने बतौर खातेदार ब.हि.ब. दर्ज करवा पाने के अधिकारी है उपरोक्त आशयों की सायल घोषणा करापाने का अधिकारी है।

रोही मौजा ढ़ाणी रायकान तहसील नोहर के खाता सं. 30/36 के ख.न. 1057 की 24.913 हैक्टर भूमि में से 12.457 हैक्टर भूमि गैरसायल सं. 1 ने अनुचित व गैर कानूनी ढंग से अपने नाम दर्ज करवा ली। गैरसायल सं. 1 वाद भूमि को तमलीकनामा की शर्त के उल्लधन में वाद भूमि अन्यत्र रहन / बैय करने पर उतारू है गैरसायल सं. 1 शराबी व्यक्ति है तथा व्यसन करता है तथा अपने व्यसन की पूर्ति हेतु वाद भूमि अन्यत्र रहन/बैय करने हेतु ग्राहक तलाशने लगा है। एंव गैरसायल सं. 1 अपने मकसद में कामयाब हो जाता है तो सायल व दावा में दर्ज तरतीबी प्रतिवादीगण को अपूर्णीय क्षति होगी इसलिए सायल गैरसायल सं. 1 को जरिये अस्थाई

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

निषेधाज्ञा से पाबन्द करा पाने का मजाज है कि वो वाद भूमि को अन्यत्र रहन/बैय व मुन्तकिल करने से निषिद्ध रहे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रोही मौजा ढाणी रायकान तहसील नोहर के खाता स0 30/36 के ख0न0 1057 की 12.457 हैक्ट भूमि में मंगतराम के नाम दर्ज 12457/24913 हैक्ट भूमि में अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय की जारी की गई की अप्रार्थीगण उक्त वाद भूमि के रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

अप्रार्थीगण को तलब किया गया । अप्रार्थीगण ने जरिये अधिवक्ता जवाब प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया की उक्त वाद भूमि उतरदाता के पिता के नाम जरिये रजिस्ट्रर्ड दस्तावेज दिनांक 17.04.1972 से दर्ज हुई है जिसका नामान्तकरण संख्या 304 दिनांक 03.07.1972 को दर्ज व मंजूर हुआ है जिसके अनुसार बिरबलराम के उक्त नामान्तकरण पर बिरबलराम के हस्ताक्षर है तथा अन्य गांव के मौजिज व्यक्तियो के हस्ताक्षर है उक्त नामान्तकरण जो की मजमेंआम में दर्ज व स्वीकृत किया गया है इसलिए वाद भूमि बाबत् दिनांक 17.04.1972 से उतरदातागण के पिता रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है एंव सायल ने विधिविरूद्ध तरिके से 54 वर्षो बाद वाद भूमि हडपने कि नियम से वाद–पत्र पेशकर स्थगन आदेश पारित करवाया है जो की काबिले खारिज है। वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में वाद भूमि उतरदातागण के मृतक पिता मंगतराम पुत्र काशीराम के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है जिसका वे खातेदार काश्तकार थे एंव कानूनी तौर पर मृतक के विरूद्ध किसी प्रकार का निर्णय पारित नही किया जा सकता तथा मृतक को किसी भी प्रकार कि स्थाई निषेधाज्ञा से पांबद नही किया जा सकता है। प्रार्थी द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र पेश किया गया है जो की खारिज योग्य है।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने बहस में निवेदन किया की सायल के पिता बिरबलराम द्वारा जो तमलीकनामा दिनांक 17/04/1972 को किया गया है उसमें केवल गैरसायल सं. 1 को अपने जीवन प्रर्यंत फसल लेने के लिए ही तहरीर किया गया था। इसके अलावा उसको वाद भूमि पर खातेदारी अधिकार नही दिये गये थे। ना ही वाद भूमि बैचान किया गया था और तमलीकनामा में स्पष्ट उल्लेखित है कि मंगतराम के मरने के बाद मंगतराम के वारिसान एवं मंगतराम का वाद भूमि से कोई तालुक व वास्ता नही होगा। बिरबलराम के वारिसान उक्त भूमि अपने नाम करवा सकेगे। और बिरलबराम की इजाजत अथवा उनके वारिसान की इजाजत के बिना वाद भूमि को अन्यत्र रहन/बैय नही कर सकेगा। इसके लिए तमलीकनामा में उनको पाबन्द किया गया था। परन्तु तमलीकनामा की शर्तों के विपरित गैरसायल सं. 1 ने अपने नाम वाद भूमि दर्ज करवाकर तमलीकनामा दिनांक 17/04/1972 की शर्तों उल्लधन किया गया है। इसके अतिरिक्त पैतृक भूमि में बिरबलराम केवल 1/6 हिस्सा भूमि का खातेदार काश्तकार था। उसे वाद भूमि को तमलीक करने का कोई अधिकार नही था। इसके लिए तमलीकनामा दिनांक 17/04/1972 को स्वंतः ही शुन्य एवं निष्प्रभावी है। इसके अतिरिक्त गैरसायल सं. 1 के नाम जो भूमि है वो अनुचित एवं गलत तौर से दर्ज है। जिसे सायल कलमजन करवाकर सायल व दावा में दर्ज तरतीबी प्रतिवादीगण अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। गैरसायल सं. 1 तमलीकनामा का शर्त का उल्लधन करके वाद भूमि अन्यत्र रहन / बैय करने पर आमादा है। अत अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे।

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

अधिवक्ता अप्रार्थी ने बहस में निवेदन किया की उक्त वाद भूमि अप्रार्थीगण के पिता के नाम जरिये रजिस्ट्रर्ड दस्तावेज दिनांक 17.04.1972 से दर्ज हुई है जिसका नामान्तकरण संख्या 304 दिनांक 03.07.1972 को दर्ज व मंजूर हुआ है जिसके अनुसार बिरबलराम के उक्त नामान्तकरण पर बिरबलराम के हस्ताक्षर है तथा अन्य गांव के मौजिज व्यक्तियो के हस्ताक्षर है उक्त नामान्तकरण जो की मजमेंआम में दर्ज व स्वीकृत किया गया है इसलिए वाद भूमि बाबत् दिनांक 17.04.1972 से उतरदातागण के पिता रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है एंव सायल ने विधिविरूद्ध तरिके से 54 वर्षो बाद वाद भूमि हडपने कि नियम से वाद–पत्र पेशकर स्थगन आदेश पारित करवाया है जो की काबिले खारिज है। वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में वाद भूमि उतरदातागण के मृतक पिता मंगतराम पुत्र काशीराम के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है जिसका वे खातेदार काश्तकार थे एंव कानूनी तौर पर मृतक के विरूद्ध किसी प्रकार का निर्णय पारित नही किया जा सकता तथा मृतक को किसी भी प्रकार कि स्थाई निषेधाज्ञा से पांबद नही किया जा सकता है।

अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा माननीय न्यायालयों के प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत आरएलडब्ल्यू 2004(2) पेज न0 280, आरआरटी 2020(2) पेज न0 1081, आरबीजे 1998 पेज न0 435 का सम्ममान अवलोकन किया व मार्गदर्शी सिद्धान्तों के रूप में उपयोग में लिया। हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन करने एवं प्रार्थना पत्र, जमाबंदी का गहन अध्ययन करने के उपरान्त इस नतीजे पर पहूंचे है कि वादग्रस्त भूमि बाबत हक अधिकारों की घोषणा मूल दावें के निर्णय में तय होने है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के दौरान केवल यह देखना है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन किसके पक्ष मे है तथा अपूर्णीय क्षति किसको होती है? प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के हक अधिकारों की घोषणा मूल दावे में तय होना है।

पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा ढाणी रायकान तहसील नोहर के खाता स0 30/36 के ख0न0 1057 की 24.9130 हैक्ट भूमि में से 12457/24913 हिस्सा भूमि अप्रार्थीगण के पिता के नाम दर्ज है। तमलीकनामा की चित्रप्रति के मुताबिक बीरबल द्वारा दिनांक 17.04.1972 को मंगतराम के पक्ष में रजि0 तमलीकनामा तहरीर किया गया है जिसमें अंकित किया गया है कि मंगतराम उक्त आराजी से जीवनपर्यनत मुफाद उठाता रहेगा व बाद वफात मंगतराम उक्त आराजी मिकर अर्थात बीरबल के वारिसान पर औद होगी व मंगतराम के वारिसान का इस अराजी से कोई ताल्लुक व वास्ता नही होगी एवं मंगतराम बिरबल की अनुमति के बिना उक्त भूमि को रहन, बैय व मुन्तकिल नही कर सकेंगा। मंगतराम उक्त आराजी का लगान वगैरहा अपने नाम से जमा करवायेगा व आराजी का इन्तकाल कागजात माल में अपने नाम अमल दरामद करवायेगा।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में मंगतराम के नाम दर्ज है प्रार्थी का कथन है कि मंगतराम का देहान्त हो गया है एवं मंगतराम के वारिस उक्त भूमि को अपने नाम दर्ज करवाना चाहते है जिससे सायल को अपूर्णीय क्षति है तमलीकनामा के मुताबिक मंगतराम के देहान्त के बाद उक्त आराजी पर मंगतराम के वारिसान का कोई ताल्लुक व वास्ता नही होगा। अप्रार्थी का कथन है कि नामान्तरण स0 304 दिनांक 03.07.1972 में बीरबल यानि की सायल के पिता के

Rahul

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

हस्ताक्षर है जबकि ऐसा कोई दस्तावेज अप्रार्थी द्वारा पेश नही किया गया है केवल कथन किया गया है। अगर वाद भूमि को रहन, बैय व मुन्तकिल किया जाता है तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति क्षति होगी इसलिए प्रथम दृष्टया मामल प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है प्रार्थी का अप्रार्थीगण के विरूद्ध दावा अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया हुआ है। अत मूल वाद में साक्ष्य सबूतों एवं तनकी के आधार पर तय किया न्यायोचित है कि उक्त अराजी में वादीगण का हक हिस्सा है या नही जब प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित हो गया है तो सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति तीनों ही तत्व प्रार्थी के पक्ष में साबित होते है उक्त आराजी वर्तमान में मंगतराम के नाम दर्ज है अत उभयपक्षों को पाबन्द किया जाना जाना न्यायोचित है ताकी विवाद की स्थिति पैदा न हो अत प्रार्थी व अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित है।

अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अस्थाई निषेधाज्ञा साक्ष्य बसूतों के आधार पर साबित होने के कारण स्वीकार किया जाकर रोही मौजा ढाणी रायकान तहसील नोहर के खाता स0 30/36 के ख0न0 1057 की 12.457 हैक्ट भूमि में मंगतराम के नाम दर्ज 12457/24913 हैक्ट भूमि की उभयपक्ष मूल वाद के निस्तारण तक यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 27/05/26 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर